आवेदनपत्र का प्रारूप

(प्रतिनियुक्ति/संविदा के पद हेतु)

आवेदक का नवीनतम कलर फोटोग्राफ (3x4 से.मी. साईज)

प्रति,

प्रबंध संचालक
मध्यप्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कम्पनी
8, अरेरा हिल्स, भोपाल ।

1- आवेदन का प्रकार (प्रतिनियुक्ति या संविदा) ....

2- आवेदित पद कानामः..

3- आवेदक का नाम (हिन्दी में):..

आवेदक का नाम(अंग्रेजी के केपिटल लेटर में):..

4- पिता/पति का नाम :..

5- जन्मतिथि (अंको में).............................. (शब्दों में)..

(जन्म तिथि के सत्यापन हेतु प्रमाणपत्र की स्वयं सत्यापित प्रति संलग्न करे)

6- आवेदक का पत्र व्यवहार का पताः–

....

....

स्थायी पताः–

....

....

7- दूरभाष क्र..मोबाईलनं. ....ई–मेल..

8- आवेदक की श्रेणी (सामान्य/अजा/अजजा/अपिव)...

(अजा/अजजा/अपिव के आवेदक सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र की स्वयं सत्यापित प्रति संलग्न करे)

9- (अ) शैक्षणिक अर्हता (स्वयं द्वारा सत्यापित प्रति लगाए):–

स.क्र.	परीक्षा का नाम	बोर्ड/विश्वविद्यालय	परीक्षा उर्त्तीण करने का वर्ष	प्राप्ताक/पूर्णांक	प्रतिशत में

(ब) अन्य अर्हताएं/अनुभव (सत्यापित प्रति लगाए):–

स.क्र.	विभाग/संस्था का नाम	पद	अनुभव		संबंधित कार्य का विवरण
			(कब से कब तक)	कुल वर्ष	

(स) अन्य विवरण (प्रतिनियुक्ति की स्थिति में भरा जाये):–

स.क्र.	विभाग / संस्था का नाम	वर्तमान धारित पद कानाम	धारित पद का वेतनमान	धारित पद पर कार्य का अनुभव (कुल वर्ष)	संबंधित कार्य काविवरण

<u>प्रमाणीकरण</u>

मै यह प्रमाणित करता / करती हूँ कि आवेदन में प्रस्तुत सभी विवरण मेरे ज्ञान एवं जानकारी के अनुसार सत्य व सही है। गलत पाये जाने पर मेरी सेवायें बिना किसी सूचना के समाप्त की जा सकती है।

दिनांकः ....
स्थानाः.............................

आवेदक के हस्ताक्षर

नोटः– 1. शैक्षणिक योग्यता एवंअनुभव से संबंधित विस्तृत विवरण प्रथक से संलग्न किया जाये।
2. संविदा नियुक्ति हेतु किये गये आवेदनों में शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव संबंधी प्रमाण पत्रो की स्वसत्यापित प्रतिलिपिया अनिवार्य रूप से संलग्न करे।

क्र0/ /एमपीयूडीसी/18 भोपाल, दिनांक ....

//संविदा सेवा शर्ते//

मध्यप्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड में अधिकारियों/कर्मचारियों को निम्न सेवा शर्तो के आधार संविदा पर नियुक्ति प्रदान की जायेगी।

1 यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई एवं एक वर्ष के लिए होगी। आवश्यकता होने पर एक वर्ष के समाप्त होने पर संपादित कार्यो के मूल्यांकन के उपरान्त उत्कृष्ट/संतोषजनक कार्य पाए जाने पर दोनो पक्ष की परस्पर सहमति के अनुसार संविदा सेवा अवधि को पुनः एक वर्ष के लिये आगे बढ़ाया जा सकेगा।

2 संविदा सेवा के दौरान आपको प्रथम नियुक्ति पर एकजाई पारिश्रमिक अर्बन डेवलपमेंट कंपनी के सक्षम अधिकारी द्वारा पद के अनुरुप निर्धारित राशि के अनुसार एकमुश्त प्रतिमाह भुगतान किया जायेगा। पारिश्रमिक के अलावा अन्य कोई वेतन व भत्तों की पात्रता नही होगी।

3. कार्यालयीन कायों के संपादन हेतु संविदा पर नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को मुख्यालय से अन्यत्र शासकीय यात्रा पर भेजा जा सकता है, यात्रा के लिये म.प्र. शासन के प्रचलित नियमों के अनुरुप अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रावधानित यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता प्रदान किया जायेगा।

4 संविदा सेवा अवधि के दौरान संविदा अधिकारियों/कर्मचारियों को एक केलेण्डर वर्ष में अधिकतम 13 दिन के आकस्मिक अवकाश के हकदार होगें, तथा वह एक समय में केवल 7 दिनों के आकस्मिक अवकाश का उपयोग कर सकेगें। इसके अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के सवैतनिक अवकाश के पात्र नही होंगें।

5. अवकाश स्वीकृति करने की शक्तियॉ मध्यप्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी के सक्षम अधिकारी को प्राप्त होगी।

6. संविदा अधिकारियो/कर्मचारियों को अपने कर्तव्यों का निर्वहन प्रबंध संचालक एवं मध्यप्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन मे पूर्ण क्षमता व निष्ठा से करेंगे। कार्यालयीन समय में बिना पूर्व अनुमति एवं अवकाश के अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित पाये जाने की दशा में आपके विरुद्ध सेवा आचरण नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी एवं आपके पारिश्रमिक से उक्त दिवस की पारिश्रमिक राशि की कटोत्री की जावेगी।

7. यह आदेश संविदा पर नियुक्त अधिकारियो/कर्मचारियों को मध्यप्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी अथवा नगरीय विकास एवं आवास विभाग मे संविदा सेवा के नियमितिकरण अथवा सेवा जारी रखने हेतु मान्य नही होगा, यह सेवा अस्थायी होने से इस आधार पर कोई वैधानिक दावा भी अमान्य होगा।

8 संविदा अधिकारी/कर्मचारियों को पेंशन/बोनस आदि की सुविधायें प्राप्त नही होगी। कर्मचारियों के ई.पी.एफ. की न्यूनतम राशि की कटोत्री के निर्णय का अधिकार नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा लिया जायेगा।

9. संविदा पद की नियुक्ति किसी भी एक पक्ष द्वारा और किसी भी समय एक मास की पूर्व सूचना या एक मास की संविदा राशि का भुगतान किया जाकर समाप्त की जा सकती है।

10. किसी कदाचार या अपराधिक कार्यकलाप में लिप्त होने तथा अनुशासनहीनता की दशा में नियोजक को यह अधिकार होगा कि वह ऐसे संविदा सदस्य की सेवा समाप्त कर दे।

6

11 संविदा के अधीन नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी शासन द्वारा समय–समय पर घोषित मंहगाई भत्ते, गृहभत्ता भत्ते इत्यादि भत्तों का हकदार नही होगा ओर न ही उनकी मांग मान्य होगी।

12. संविदा पर पदस्थ अधिकारी/कर्मचारी यदि बिना किसी विशिष्ट कारण के और बिना किसी सूचना के अपने कर्तव्य से एक मास से अधिक अनुपस्थित रहता है, तो उसकी संविदा नियुक्ति ऐसी अनुपस्थिति की तारीख से स्वतः समाप्त हुई मानी जायेगी।

13. संविदा पर नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को उपरोक्त संविदा शर्तो के अनुपालन में नीचे दर्शाए गये सेवा सहमति/घोषणा पत्र पर बिना शर्त हस्ताक्षर कर एक प्रति कार्यालय मे उपलब्ध करायेगें तत्पश्चात उनकी संविदा नियुक्ति/संविदा सेवा वृद्धि मान्य होगी।

14. उपरोक्त सेवा शर्तो में संशोधन का अधिकार प्रबंधन को होगा एवं किसी भी विवाद की स्थिति में प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

प्रबंध संचालक
म.प्र. अर्बन डेवलपमेंट कम्पनी लिमिटेड
भोपाल

घोषणा पत्र

में श्री/श्रीमती.. यह घोषणा करता/करती हूँ कि मै अपनी सेवा उपरोक्त सेवा शर्तो के आधार पर करने की सहमति देता/देती हूँ।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
नाम..

साक्षी–1 हस्ताक्षर

नाम–

पता–

साक्षी–2 हस्ताक्षर

नाम–

पता–

प्रतिलिपि,
1– लेखा शाखा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2– व्यक्तिगत नस्ती।

प्रबंध संचालक ,
म.प्र. अर्बन डेवलपमेंट कम्पनी लिमिटेड
भोपाल